रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1722] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2019/ज्येष्ठ 17, 1941
No. 1722] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2019/JYAISTHA 17, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2019

का.आ. 1927(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ.1727 (अ), तारीख 16 अप्रैल, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 24 अप्रैल, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 16 सितंबर, 1989 को बनाया गया था और 2390.02 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आच्छादित है। इस राष्ट्रीय उद्यान से पवित्र नदी गंगा भी आरंभ होती है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान को बनाने का मुख्य उद्देश्य वनस्पतियों और जीवजन्तु की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण करना है;

और, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति और जीवजन्तु की कई लुप्तप्राय प्रजातियों का वास है। राष्ट्रीय उद्यान में कुछ लुप्तप्राय प्रजातियां कस्तूरी हिरन (*मोसचुस स्पा.*), हिमालय थार (*हेमित्रागुस जेस्लाहिकस*), ब्लू भेड़ (*स्यूडोइस नायोर*), सेरोव (*कैप्ररीकोर्निस स्पा.*), हिम तेंदुए (*पैंथेरा यूनीसा*), हिमालयन ब्राउन भालू (*उर्सस एर्कटोस इसाबेलिनस*), हिमालयन काला भालू (*उर्सस थिबेटॅनस लायनगर*), हिमालयी हिमपातक (*टेट्राओगालस हिमालयेंसिस*), मोनाल (*लोफोफोरस स्पा.*), कोक्लास

(*पक्रेशिया मैक्रोओलोफा*), आदि पाई जाती है। राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 37 भव्य शिखर हैं। राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत गोमुख भी गंगा नदी की उत्पत्ति का पवित्र ग्लेशियर है;

और, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी समशीतोष्ण शुष्क पर्णपाती और शंकुधारी वन से घिरा हुआ है जो कि बृहत जैव विविधता को आश्रय प्रदान करता है;

और, राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर बढ़ता मानव आवास, चल रही विकास परियोजनाएं और खनन क्रियाकलापों को बढ़ाना, दीर्घकालिक वन्यजीव संरक्षण को देखते हुए उचित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता और इस तरह के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है;

और, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर शून्य किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.-** (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन पूर्व की ओर 31°04' 11.495"उ अक्षांश और 79°24'59.584"पू देशांतर; उत्तर की ओर 79°50'30.130"पू देशांतर और 31°7'54.646"उ अक्षांश; पश्चिम की ओर 30°51'30.018"उ अक्षांश और 78°43'6.514"पू देशांतर और दक्षिण की ओर 30°44'58.107"उ अक्षांश और 79°17'26.661"पू देशांतर से घिरा हुआ है। गंगोत्री नगर पंचायत (14.415 हेक्टे.) क्षेत्र मुख्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन में रखा गया है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर शून्य किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ विस्तार हिमाचल प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा उत्तरी भाग की ओर शून्य है। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के निकटवर्ती दक्षिणी भाग की ओर शून्य है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 1103.08 वर्ग किलोमीटर है।

(2) उप-बेसिन सीमाओं, केदारनाथ टिहरी, उत्तरकाशी और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सीमाओं, महत्वपूर्ण स्थानों और भागीरथी नदी की मुख्य सहायक नदियों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा का मानचित्र **उपाबंध I** में दिया गया है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमशः **उपाबंध I (क)** और **I(ख)** में है ।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध II** के रुप में उपाबद्ध है।

(5) गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रुप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण,

(ii) वन और वन्यजीव,

(iii) कृषि और बागवानी,

(iv) राजस्व,

(v) शहरी विकास,

(vi) पारिस्थितिकी पर्यटन सहित पर्यटन,

(vii) ग्रामीण विकास,

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण,

(ix) नगरपालिका और शहरी विकास,

(x) पंचायती राज,

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

(10) उक्त महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को इस प्रकार विनियमित करेगी जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकुल विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिदांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन अथवा पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिसोर्टों का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण. -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए, यदि इसे आवश्यक समझे, अन्य अतिरिक्त उपायों को विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	**(2)**	**(3)**
	क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके

		अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत तापीय और बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना जल संसाधान, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सिफारिशों और उस पर सम्यक विचार के अनुसार होगी।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख.विनियमित क्रियाकलाप		
10.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:-

		(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और गृह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप : परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुगधशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
13.	फर्मो, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
15.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।
16.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

	का संग्रहण।	
17.	विद्युत और संसूचना टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य अवसंरचनाएं।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे। भूमिगत केबल बिछाए जाने को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
18.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों के लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
20.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
21.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
22.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
24.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
25.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन / जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

ग.संवर्धित क्रियाकलाप

30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाना है।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

(1)	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी	अध्यक्ष,पदेन;
(2)	उत्तराखंड के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा नामर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(3)	गैर-सरकारी संगठनों (विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय) का एक प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामर्दिष्ट किया जायेगा	सदस्य;
(4)	प्रतिनिधि, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(5)	राज्य सरकार द्वारा नामर्दिष्ट किया जाने वाला जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(6)	राज्य सरकार द्वारा नामर्दिष्ट किया जाने वाला पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(7)	उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरकाशी	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश–निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संविक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रींय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/01/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड का मानचित्र

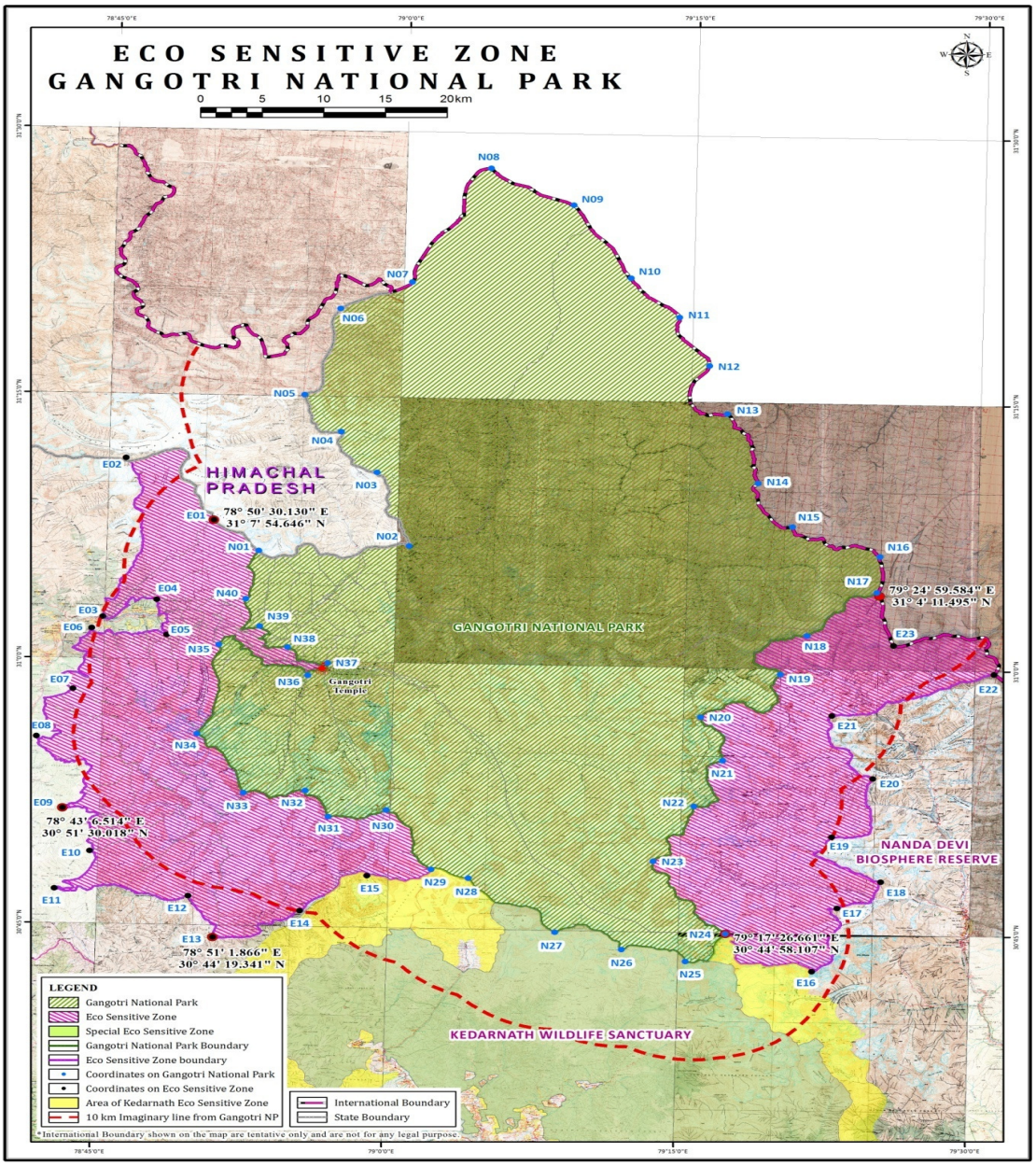

उपाबंध I (क)

गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
1.	एन01	31° 06' 13.179" उ	78° 52' 51.247" पू
2.	एन 02	31° 06' 36.803" उ	79° 0' 36.852" पू
3.	एन 03	31° 10' 44.895" उ	78° 58' 51.574" पू
4.	एन 04	31° 13' 00.567" उ	78° 56' 57.171" पू
5.	एन 05	31° 15' 04.948" उ	78° 55' 0.761" पू
6.	एन 06	31° 19' 58.215" उ	78° 56' 44.746" पू
7.	एन 07	31° 21' 32.359" उ	79° 0' 25.929" पू
8.	एन 08	31° 28' 02.205" उ	79° 4' 21.422" पू
9.	एन 09	31° 26' 01.316" उ	79° 8' 40.864" पू
10.	एन 10	31° 21' 56.817" उ	79° 11' 44.305" पू
11.	एन 11	31° 19' 46.916" उ	79° 14' 17.897" पू
12.	एन 12	31° 17' 03.987" उ	79° 15' 54.384" पू
13.	एन 13	31° 14' 21.594" उ	79° 16' 53.310" पू
14.	एन 14	31° 10' 27.703" उ	79° 18' 33.856" पू
15.	एन 15	31° 08' 1.679" उ	79° 20' 23.871" पू
16.	एन 16	31° 06' 24.150" उ	79° 24' 57.650" पू
17.	एन 17	31° 04' 22.304" उ	79° 24' 50.743" पू
18.	एन 18	31° 01' 53.130" उ	79° 21' 16.660" पू
19.	एन 19	30° 59' 40.539" उ	79° 19' 57.310" पू
20.	एन 20	30° 57' 12.634" उ	79° 15' 53.792" पू
21.	एन 21	30° 54' 45.980" उ	79° 17' 5.541" पू
22.	एन 22	30° 52' 09.010" उ	79° 15' 39.501" पू
23.	एन 23	30° 49' 00.975" उ	79° 13' 37.764" पू
24.	एन 24	30° 44' 58.107" उ	79° 17' 26.661" पू

25.	एन 25	30° 43' 22.717" उ	79° 15' 24.355" पू
26.	एन 26	30° 43' 59.789" उ	79° 12' 5.906" पू
27.	एन 27	30° 44' 55.018" उ	79° 8' 39.008" पू
28.	एन 28	30° 47' 53.015" उ	79° 4' 7.331" पू
29.	एन 29	30° 48' 21.489" उ	79° 2' 11.387" पू
30.	एन 30	30° 51' 40.604" उ	78° 59' 47.804" पू
31.	एन 31	30° 51' 14.863" उ	78° 56' 48.744" पू
32.	एन 32	30° 52' 41.622" उ	78° 55' 35.402" पू
33.	एन 33	30° 52' 31.368" उ	78° 52' 24.723" पू
34.	एन 34	30° 55' 48.883" उ	78° 49' 55.349" पू
35.	एन 35	31° 00' 52.286" उ	78° 50' 56.242" पू
36.	एन 36	30° 59' 12.508" उ	78° 55' 33.943" पू
37.	एन 37	30° 59' 55.866" उ	78° 56' 34.121" पू
38.	एन 38	31° 00' 47.616" उ	78° 54' 28.852" पू
39.	एन 39	31° 01' 57.171" उ	78° 53' 1.009" पू
40.	एन 40	31° 03' 29.254" उ	78° 52' 15.766" पू

उपाबंध I (ख)

गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड की सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
1.	ई 01	31° 7' 54.646" उ	78° 50' 30.130" पू
2.	ई 02	31° 5' 51.765" उ	78° 48' 17.241" पू
3.	ई 03	31° 3' 53.803" उ	78° 46' 30.006" पू
4.	ई 04	31° 2' 22.231" उ	78° 48' 58.302" पू
5.	ई 05	31° 1' 3.007" उ	78° 47' 33.848" पू
6.	ई 06	30° 56' 54.054" उ	78° 47' 25.818" पू
7.	ई 07	30° 58' 14.991" उ	78° 43' 28.493" पू

8.	ई 08	30° 55' 32.558" उ	78° 41' 39.842" पू
9.	ई 09	30° 51' 30.018" उ	78° 43' 6.514" पू
10.	ई 10	30° 49' 5.881" उ	78° 44' 35.220" पू
11.	ई 11	30° 46' 56.855" उ	78° 42' 49.068" पू
12.	ई 12	30° 46' 38.098" उ	78° 49' 42.520" पू
13.	ई 13	30° 44' 19.341" उ	78° 51' 1.866" पू
14.	ई 14	30° 45' 53.876" उ	78° 55' 28.931" पू
15.	ई 15	30° 47' 56.446" उ	78° 58' 53.464" पू
16.	ई 16	30° 46' 15.356" उ	79° 18' 29.920" पू
17.	ई 17	30° 46' 30.178" उ	79° 23' 10.047" पू
18.	ई 18	30° 48' 1.045" उ	79° 25' 22.474" पू
19.	ई 19	30° 50' 31.558" उ	79° 22' 48.016" पू
20.	ई 20	30° 53' 51.015" उ	79° 24' 50.837" पू
21.	ई 21	30° 57' 23.110" उ	79° 22' 40.145" पू
22.	ई 22	30° 59' 49.726" उ	79° 30' 59.217" पू
23.	ई 23	31° 1' 23.220" उ	79° 25' 46.123" पू

उपाबंध – II

गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा के साथ चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा तक फैली है।

दक्षिण: तेहरी वन संभाग, केदारनाथ वन संभाग एवं नन्दा देवी जीवमण्डल रिजर्व के गंगी खण्ड के साथ सीमा।

पूर्व: शिखर 7138मी से आरंभ होकर अज्ञात शिखर 6275मी से 5501मी से 4820मी से 5244मी की ओर मुड़ती है भागीरथी ग्लेशियर के साथ सतोपंथ तट ग्लेशियर के जंक्शन पहुँचती है और इसके बाद शिखर 5288मी (पवेगढ़ शिखर) से 5594मी से 5918मी से 6180मी से 6352मी से 6193मी से 5430मी पर चढ़ती है और इसके बाद शिखर 5919मी पहुँच कर बाद में अरवा नदी के निचे चढ़ती है। यहाँ से सीमा भिन्न अज्ञात शिखरों 6052मी, 5835मी, 5584मी, 5728मी, 5764मी, 6324मी के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा तक जाती है।

पश्चिम: उत्तरकाशी वन संभाग के करछा खण्ड और पिलंग, भुकी, हुर्री जलरी, धरली, गंगोत्री, पतनगनी, जनगला, हरसिल की खण्ड सीमा।

उपाबंध-III

गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	श्रेणी
1	गंगोत्री नगर पंचायत	विशेष पारिस्थितिकी संवेदी जोन

उपाबंध IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । [ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं]।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। [ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं]।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । [ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं]।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2019

S.O. 1927(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1727 (E), dated the16th April, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on dated the 24th April, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Gangotri National Park is situated in Uttarkashi District of Uttarakhand State. Gangotri National Park was created on the 16th September, 1989 and covers an area of 2390.02 square kilometers. The Holy River Ganga also originates from this National Park. The main objective of forming Gangotri National Park is to protect and conserve various species of flora and fauna;

AND WHEREAS, Gangotri National Park is home to many endangered species of flora and fauna. Some of the endangered species found in the National Park are Musk Deer (*Moschus sp.*), Himalayan Thar (*Hemitragus jemlahicus*), Blue Sheep (*Pseudois nayaur*), Serow (*Capricornis sp.*), Snow Leopard (*Panthera uncia*), Himalayan Brown Bear (*Ursus arctos isabellinus*), Himalayan Black Bear (*Ursus thibetanus laniger*), Himalayan Snow Cock (*Tetraogallus himalayensis*), Monal (*Lophophorus sp.*), Koklas (*Pucrasia macrolopha*), etc. There are 37 magnificent peaks inside the National Park. Gomukh, the holy Glacier of the origin of the river Ganga in also inside the National Park;

AND WHEREAS, Gangotri National Park is surrounded by northern temperate dry deciduous and coniferous forest which supports a large bio-diversity;

AND WHEREAS, increasing human habitation, ongoing developmental projects, and mining activities around the National Park, necessitate the requirement of proper safeguards and control over such activities in view of long term wildlife conservation;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of the Gangotri National Park which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and bio-diversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from Zero kilometers to 10 kilometers around the boundary of Gangotri National Park in the State of Uttarakhand as Gangotri National Park Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone is bounded by 31°04'11.495"N latitude and 79°24'59.584"E longitude towards east; 79°50'30.130"E longitude and 31°7'54.646"N latitude towards north;. 30°51'30.018"N latitude and 78°43'6.514"E longitude towards west and 30°44'58.107"N latitude and 79°17 '26.661"E longitude towards south. The area of Gangotri Nagar Panchayat (14.415 Ha.) has been kept as Special Eco-Sensitive Zone. The extent of Eco-sensitive Zone varies from Zero kilometers to 10 kilometers around the Gangotri National Park. Zero extent is towards the Northern side having interstate boundary with Himachal Pradesh that extends upto international boundary with China. Zero extent is also towards Southern side adjoining Kedarnath Wildlife Sanctuary. The area of the Eco-Sensitive Zone is 1103.08 square kilometers.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone boundary together with sub-basin boundaries, Kedarnath, Tehri, Uttarkashi and Gangotri National Parks boundaries, important places, and major tributaries of Bhagirathi River is at **Annexure I.**

(3) The list of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure I (A) and I (B)** respectively.

(4) The boundary description of the Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure II**.

(5) The list of villages within Gangotri National Park Eco-sensitive zone is appended as **Annexure III**.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone. - (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment,
(ii) Forest and Wildlife,
(iii) Agriculture and Horticulture,
(iv) Revenue,
(v) Urban Development,
(vi) Tourism including eco-tourism,
(vii) Rural Development,
(viii) Irrigation and Flood Control,
(ix) Municipal and Urban Development,
(x) Panchayati Raj,

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for Security of local communities livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) The said Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for Security of local communities livelihood.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a), within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities;

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometres from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-Sensitive zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone.

(ii) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste. – Bio-Medical Waste Management shall be as under-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management. - The Plastic Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-Waste. - The E-Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel like CNG, LPG, etc.

(16) Industrial units. – (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-Sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-Sensitive Zone.- All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		A. Prohibited activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of

		houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric project.	Establishment of major hydroelectric projects in Eco-sensitive Zone area of Gangotri National Park would be as per recommendation of Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation and due consideration.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents, such as:- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) small scale industries not causing pollution as per the classification done by the Central Pollution Control Board; (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) promoted activities listed in this notification: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
13.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate companies.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
16.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
18.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Under taking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.

21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial use and extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.
26.	Solid Waste Management /Bio-medical Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Use of Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
	C. Promoted activities	
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. to be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification. - For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -

(1) District Magistrate, Uttarkashi -Chairman, ex-officio

(2) A representative nominated by the Forest and Environment Department of Uttarakhand -Member,

(3) One representative of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the State Government - Member,

(4) Representative, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board -Member,

(5) An expert in Biodiversity to be nominated by the State Government -Member,

(6) An expert in Ecology and environment to be nominated by the State Government -Member,

(7) Deputy Director, Gangotri National Park, Uttarkashi - Member-Secretary.

6. Terms of Reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per performa given in **Annexure IV.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F.No.25/01/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

Annexure-I

Map of Gangotri National Park, Uttarakhand along with Eco-Sensitive Zone

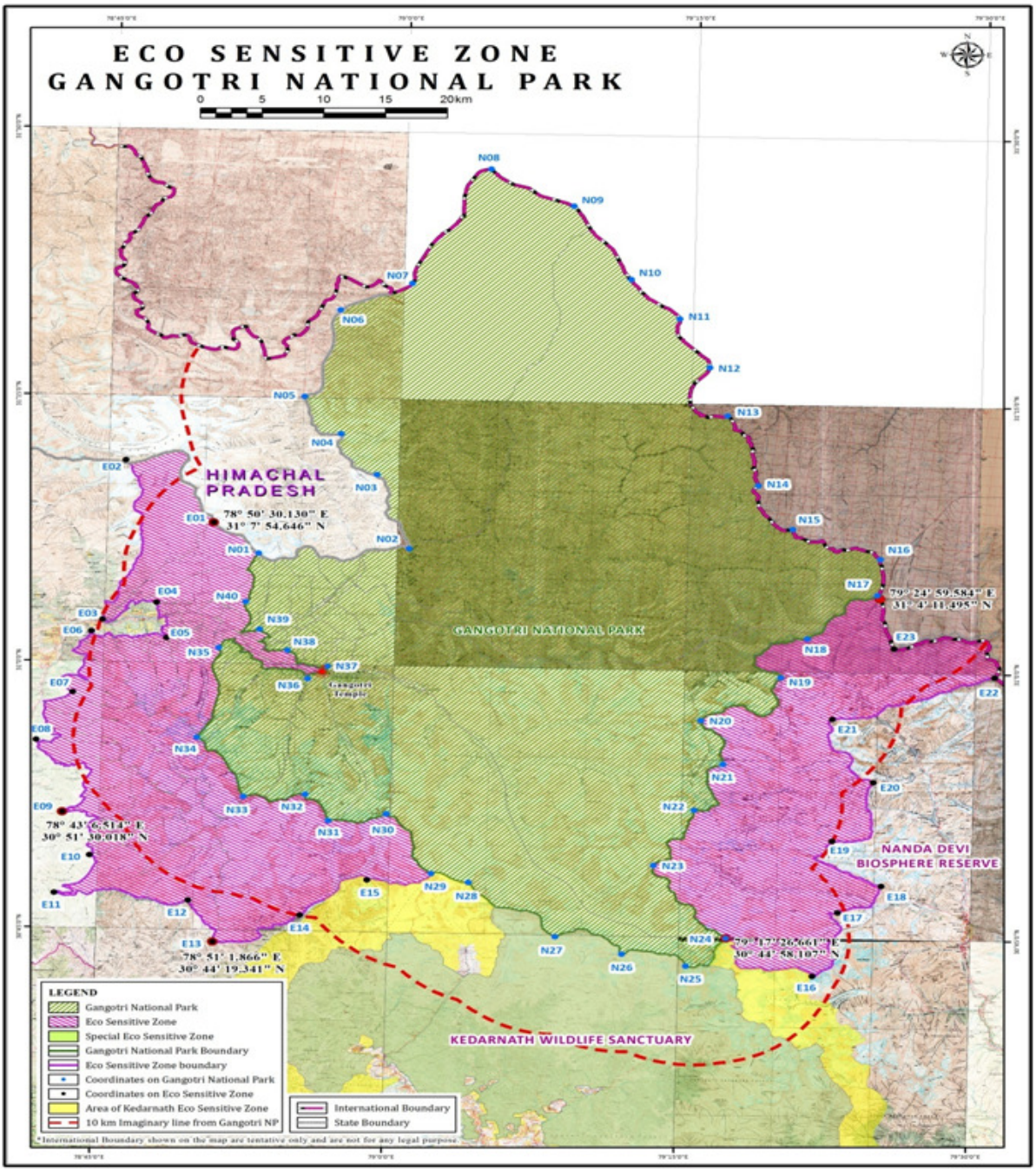

Annexure-I (A)

Geo Co-ordinates of boundary of Gangotri National Park, Uttarakhand

Sl. No.	Point Code	Latitude	Longitude
1.	N01	31° 06' 13.179" N	78° 52' 51.247" E
2.	N02	31° 06' 36.803" N	79° 0' 36.852" E
3.	N03	31° 10' 44.895" N	78° 58' 51.574" E
4.	N04	31° 13' 00.567" N	78° 56' 57.171" E
5.	N05	31° 15' 04.948" N	78° 55' 0.761" E
6.	N06	31° 19' 58.215" N	78° 56' 44.746" E
7.	N07	31° 21' 32.359" N	79° 0' 25.929" E
8.	N08	31° 28' 02.205" N	79° 4' 21.422" E
9.	N09	31° 26' 01.316" N	79° 8' 40.864" E
10.	N10	31° 21' 56.817" N	79° 11' 44.305" E
11.	N11	31° 19' 46.916" N	79° 14' 17.897" E
12.	N12	31° 17' 03.987" N	79° 15' 54.384" E
13.	N13	31° 14' 21.594" N	79° 16' 53.310" E
14.	N14	31° 10' 27.703" N	79° 18' 33.856" E
15.	N15	31° 08' 1.679" N	79° 20' 23.871" E
16.	N16	31° 06' 24.150" N	79° 24' 57.650" E
17.	N17	31° 04' 22.304" N	79° 24' 50.743" E
18.	N18	31° 01' 53.130" N	79° 21' 16.660" E
19.	N19	30° 59' 40.539" N	79° 19' 57.310" E
20.	N20	30° 57' 12.634" N	79° 15' 53.792" E
21.	N21	30° 54' 45.980" N	79° 17' 5.541" E
22.	N22	30° 52' 09.010" N	79° 15' 39.501" E
23.	N23	30° 49' 00.975" N	79° 13' 37.764" E
24.	N24	30° 44' 58.107" N	79° 17' 26.661" E
25.	N25	30° 43' 22.717" N	79° 15' 24.355" E
26.	N26	30° 43' 59.789" N	79° 12' 5.906" E
27.	N27	30° 44' 55.018" N	79° 8' 39.008" E
28.	N28	30° 47' 53.015" N	79° 4' 7.331" E
29.	N29	30° 48' 21.489" N	79° 2' 11.387" E
30.	N30	30° 51' 40.604" N	78° 59' 47.804" E
31.	N31	30° 51' 14.863" N	78° 56' 48.744" E
32.	N32	30° 52' 41.622" N	78° 55' 35.402" E
33.	N33	30° 52' 31.368" N	78° 52' 24.723" E
34.	N34	30° 55' 48.883" N	78° 49' 55.349" E
35.	N35	31° 00' 52.286" N	78° 50' 56.242" E
36.	N36	30° 59' 12.508" N	78° 55' 33.943" E

37.	N37	30° 59' 55.866" N	78° 56' 34.121" E
38.	N38	31° 00' 47.616" N	78° 54' 28.852" E
39.	N39	31° 01' 57.171" N	78° 53' 1.009" E
40.	N40	31° 03' 29.254" N	78° 52' 15.766" E

Annexure I (B)

Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone Boundary of Gangotri National Park, Uttarakhand

Sl. No.	Point Code	Latitude	Longitude
1.	E01	31° 7' 54.646" N	78° 50' 30.130" E
2.	E02	31° 5' 51.765" N	78° 48' 17.241" E
3.	E03	31° 3' 53.803" N	78° 46' 30.006" E
4.	E04	31° 2' 22.231" N	78° 48' 58.302" E
5.	E05	31° 1' 3.007" N	78° 47' 33.848" E
6.	E06	30° 56' 54.054" N	78° 47' 25.818" E
7.	E07	30° 58' 14.991" N	78° 43' 28.493" E
8.	E08	30° 55' 32.558" N	78° 41' 39.842" E
9.	E09	30° 51' 30.018" N	78° 43' 6.514" E
10.	E10	30° 49' 5.881" N	78° 44' 35.220" E
11.	E11	30° 46' 56.855" N	78° 42' 49.068" E
12.	E12	30° 46' 38.098" N	78° 49' 42.520" E
13.	E13	30° 44' 19.341" N	78° 51' 1.866" E
14.	E14	30° 45' 53.876" N	78° 55' 28.931" E
15.	E15	30° 47' 56.446" N	78° 58' 53.464" E
16.	E16	30° 46' 15.356" N	79° 18' 29.920" E
17.	E17	30° 46' 30.178" N	79° 23' 10.047" E
18.	E18	30° 48' 1.045" N	79° 25' 22.474" E
19.	E19	30° 50' 31.558" N	79° 22' 48.016" E
20.	E20	30° 53' 51.015" N	79° 24' 50.837" E
21.	E21	30° 57' 23.110" N	79° 22' 40.145" E
22.	E22	30° 59' 49.726" N	79° 30' 59.217" E
23.	E23	31° 1' 23.220" N	79° 25' 46.123" E

Annexure II

Boundary Description of Eco Sensitive Zone of Gangotri National Park, Uttarakhand

North: State Boundary with Himachal Pradesh extending up to International Boundary with China.

South: Boundary with Gangi block of Tehri Forest Division, Kedarnath Forest Division & Nanda Devi Biosphere Reserve.

East: Starting from Peak at 7138m moving to the un-named peak at 6275m to 5501m to 4820m to 5244m to reach the junction of Satopanth Bank Glacier with Bhagirathi Glacier and then climbing up to the peak at 5288m (Pawegarh Peak)

to 5594 m to 5918m to 6180 m to 6352 m to 6193 m to 5430 m and then climbing down to Arwa Nadi before reaching the peak at 5919m. From here the boundary travels along various un-named peaks at 6052m , 5835m, 5584m, 5728m, 5764m, 6324m until the international boundary.

West: Block boundary of Pilang, Bhuki, Hurri Jalari, Dharali, Gangotri, Patangani, Jangala, Harsil and Karchha Block of Uttarkashi Forest Division.

Annexure III

List of villages within the Eco Sensitive Zone of Gangotri National Park

S. No.	Name of the village	Category
1	Gangotri Nagar Panchayat	Special Eco-Sensitive Zone

Annexure IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). [Details may be attached as Annexure].
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure].
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure].
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.06.11 13:03:44 +05'30'